



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092022-238626
CG-DL-E-06092022-238626

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3978]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 6, 2022/ भाद्र 15, 1944

No. 3978]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 6, 2022/BHADRA 15, 1944

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2022

का.आ. 4159(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 08 जून, 2022 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 2630 (अ), तारीख, 06 जून, 2022 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध, और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आषय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात्, “द टाइम्स आफ इंडिया” (अंग्रेजी) में तारीख 11 जून, 2022 और “सन्देश” (गुजराती) में तारीख 11 जून, 2022 में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ था ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगों से मुक्त होकर आत्यंतिक रूप से केंद्रीय सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के वड़ोदरा जिले में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि की संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम : वड़ोदरा

क्रम संख्या	तालुका का नाम	गाम का नाम	सर्वेक्षण / ब्लॉक संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	हैक्टर में क्षेत्रफल	भू. स्वामो / हितबद्ध व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वड़ोदरा	कोटना	365	निजी	कृषि	0.1365	7/12 रिकॉर्ड के अनुसार: गोहिल हिम्मतभाई मोहनभाई गोहिल गालाभाई मोहनभाई
2	वड़ोदरा	कोटना	366	निजी	कृषि	0.0060	7/12 रिकॉर्ड के अनुसार: गोहिल रमे भाई उदेसिंह

[फा. सं. 2022/एलएमएल-II/12/1/डब्ल्यू सी/2342]
पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2022

S.O. 4159(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 2630(E), dated the 06th June, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub – section (ii), dated the 08th June, 2022 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Vadodara in the State of Gujarat;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers namely, “The Times of India” (English) dated the 11th June, 2022 and “Sandesh” (Gujarati) dated the 11th June, 2022 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objection has been received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the district Vadodara for Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the State of Gujarat.

Name of the District: Vadodara

Serial Number	Name of Taluka	Name of Village	Survey/ Block Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectares	Name of the Land Owner/ Interested Persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Vadodara	Kotna	365	Private	Agriculture	0.1365	AS PER 7/12 RECORD : Gohil Himmatbhai Mohanbhai Gohil Galabhai Mohanbhai.
2	Vadodara	Kotna	366	Private	Agriculture	0.0060	AS PER 7/12 RECORD : Gohil Rameshbhai Udesinh.

[F. No. 2022/LML-II/12/1/WC/2342]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)